

न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी - श्री विष्णु कुमार गोयल - । (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : दावा / 2008 / 559

1. गोपाल पुत्र भौरीलाल जाति माली निवासी माल की ढाणी, बड के बास सांगानेर जिला जयपुर।

- वादी -

बनाम

1. छगन पुत्र भोरजी जाति जाट निवासी कसाईयों का मोहल्ला के पास, लालचन्द माली की ढाणी परचूनी की दूकान सांगानेर जयपुर

- प्रतिवादी -

दावा बाबत बेदखली

निर्णय -

दिनांक

वादी की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि विवादित खसरा नंबर 3163 एकबा 0.07 वाकै ग्राम एवं तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित का खातेदार वादी है, तथा उक्त वर्णित भूमि में से कुछ हिस्सा वादी के पिता ने अपने जीवन काल में अपनी अन्य को बेच दिया था बेचने के बाद खरीददार के नाम खातेदारी हो गई थी और जमीन पर कब्जा भी खातेदार का हो गया था इस मुताबिक वादी को कोई ऐतराज नहीं है। विवादित खसरा नंबर पर वादी अपने खातेदारी भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग व उपभोग कर रहा था लेकिन कुछ समय से प्रतिवादी नाजायज तरीके से वादी को उसकी खातेदारी भूमि से बेदखल करने की कोशिश कर रहे है। दिनांक 26.12.2000 को प्रतिवादी ने वादी की खातेदारी भूमि का कुछ हिस्सा दबा लिया जिस पर वादी ने फर्द मौका बनाने एवं प्रतिवादी को बेदखल करने बाबत एक प्रार्थना पत्र हल्का तहसीलदारजी को प्रस्तुत किया जिस पर की हल्का तहसीलदारजी ने फर्द मौका बनवाया लेकिन प्रतिवादी को बेदखल वादी के द्वारा कानूनन करवाने की हिदायत हल्का पटवारी ने वादी को दी। वादी ने जरिये दिवानी न्यायालय भी वादी की कब्जेशुदा रिहायशी भूमि पर कब्जा न करने बाबत पाबन्द पूर्व में प्रतिवादी को करवाया हुआ है। वादी ने प्रतिवादी से स्वयं की भूमि का वापस कब्जा लेने के लिए संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर की थाने वालो ने भी स्पष्ट तौर पर यह कह दिया



सहायक कलेक्टर
द्वितीय

कि वादी प्रतिवादी के खिलाफ बेदखली का मुकदमा कर कोर्ट के जरिये प्रतिवादी से कब्जा प्राप्त करें। जब प्रतिवादी को वादी की उक्त बातों का पता चला तो प्रतिवादी एवं उसके आदमी वादी पर जोर डालते रहे कि वादी स्वयं की खातेदारी भूमि जिस पर की प्रतिवादी ने कब्जा कर रखा है उसे प्रतिवादी को बेच दे, जिस पर वादी उक्त जमीन को प्रतिवादी को बेचने के लिए मना करता रहा। गत कुछ सप्ताहों से प्रतिवादी वादी को बराबर कहता रहा कि वह जमीन खाली करके वादी को संभला देगा लेकिन दिनांक 18.06.2001 को प्रतिवादी ने वादी से स्पष्ट तौर पर कह दिया कि वादी को जो कुछ करना है कर ले, प्रतिवादी जमीन खाली नहीं करेगा इस कारण से वाद कारण दिनांक 18.06.2001 से उत्पन्न होकर निरन्तर चालू है। हल्का तहसीलदार एवं हल्का थानेदार जी के कथनों से एवं प्रतिवादी के मद नंबर 8 में वर्णित अकृत्य एवं दिनांक 26.12.2000 को प्रतिवादी द्वारा वादी की खातेदारी भूमि पर कब्जा करने के कारण वादी को यह बेदखली का मुकदमा करना जरूरी हो गया। वादी गरीब काश्तकार पेशा व्यक्ति है तथा छोटा मोटा रोजगार करके अपना एवं परिवार का पालन पोषण कर रहा है। तथा कानून से अनभिज्ञ है। इस कारण से भिन्न भिन्न वकीलों की राय लेनी पड़ी जिन्होंने यह कह दिया कि प्रतिवादी के खिलाफ बेदखली का मुकदमा करो जब ही प्रतिवादी तुम्हारी भूमि से बेदखल हो सकता है अन्यथा नहीं। इस कारण से वादी को प्रतिवादी के खिलाफ बेदखली का मुकदमा करना जरूरी हुआ।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की बेदखली की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादी को वादी की मद नंबर 1 में वर्णित खातेदारी भूमि से प्रतिवादी को बेदखल कर थाने अथवा तहसीलदार जी जरिये वादी को कब्जा दिलाया जावे। वादी को प्रतिवादी से वादी को हुई मानसिक पीड़ा एवं वाद का खर्चा दिलाया जावे।

दीवा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित है कि :- वादी ने अपने वाद पत्र में यह कथन अंकित नहीं किया है कि उक्त विवादित खसरा नंबरान् में वादी का कितना हिस्सा स्वयं के कब्जे में है एवं कितना हिस्सा क्रेता के हिस्से में है। वादी का यह कहना गलत है कि विवादित खसरा नंबर पर वादी अपने खातेदारी भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग व उपभोग कर रहा है क्योंकि प्रतिवादी द्वारा खरीदी गई भूमि खसरा नंबर 2038 रकबा 4 बिस्वा पर प्रतिवादी का कब्जा है जिसका प्रतिवादी उपयोग व उपभोग कर रहा है। वादी का उक्त भूमि पर कोई कब्जा है ही नहीं तो प्रतिवादी द्वारा बेदखल करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। दिनांक 26.12.2000 को प्रतिवादी ने वादी की खातेदारी भूमि का कुछ हिस्सा दबा लिया है। वादी का यह कहना भी गलत है कि वादी ने फर्द मौका बनाने एवं प्रतिवादी को बेदखल करने बाबत् एक

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

प्रार्थना पत्र हल्का तहसीलदार जी को प्रस्तुत किया हो, उस पर तहसीलदार जी ने फर्द मौका बनाया है। वादी का यह कहना भी गलत है कि प्रतिवादी को बेदखल करने के लिए वादी को कानूनन बेदखल करवाने की हिदायत हल्का तहसीलदार जी ने दी हो। वादी ने यह तथ्य भी गलत अंकित किया है कि वादी ने संबंधित थाने में कब्जा वापसी प्राप्त करने के लिए कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई हो। जिस पर थाने वालों ने कहा हो कि बेदखली का मुकदमा दर्ज करा कर कब्जा कोर्ट से प्राप्त करे। दिनांक 18.06.2001 को प्रतिवादी व वादी के मध्य उक्त विवादित भूमि के संबंध में कोई विवाद नहीं हुआ है, और न ही कोई वादी को वाद कारण दिनांक 18.06.2001 को उत्पन्न हुआ है। जवाब के विशेष कथन में अंकित है कि भूमि खसरा नंबर 2038 रकबा 4 बिस्वा वाकै ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है उक्त भूमि को प्रतिवादी ने जरिये विक्रय पत्र श्रीमती सुनिता देवी पत्नि कमल किशोर जाति महाजन निवासी सी-स्कीम जयपुर से क्रय किया था। क्रय करने के बाद उक्त आराजियात पर काबिज होकर प्रतिवादी अपने उपयोग-उपभोग में ले रहा है। दौराने सेटलमेंट प्रबंधक विभाग ने साबिक पुराना खसरा नंबर 2038 रकबा 4 बिस्वा जिसके हाल नये खसरा नंबर 3163 रकबा 0.03 हैक्टेयर बनाये एवं पुराना खसरा नंबर 2039 रकबा 1 बिस्वा के नये खसरा नंबर 3163 रकबा 0.01 है0 बनाये एवं पुराना खसरा नंबर 2040 रकबा 3 बिस्वा के नये खसरा नंबर 3163 रकबा 0.03 हैक्टेयर बनायें। इस प्रकार खसरा नंबर 3163 का कुल रकबा 0.07 हैक्टेयर बनाया। भू-प्रबंधक विभाग द्वारा सेटलमेंट करते समय एवं मिलान क्षेत्रफल बनाते समय प्रतिवादी की खातेदारी की भूमि पुराना खसरा नंबर 2038 रकबा 4 बिस्वा के हाल नये खसरा नंबर 3162/5015 रकबा 0005 हैक्टेयर बना दिया जो भू-प्रबंधक विभाग की गलती से बना है जो कि गलत है। भू-प्रबंधक विभाग द्वारा बनाया गया मिलान क्षेत्रफल गलत रूप से बनाया गया है क्योंकि हाल खसरा नंबर 3162/5015 का पुराना खसरा नंबर 238 से बना हुआ प्रतीत होता है। साबिक खसरा नंबर 238 के हाल खसरा नंबर 407, 417, 418 बने हैं। साबिक खसरा नंबर 238 व साबिक खसरा नंबर 2038 के मध्य राजस्व नक्शा ट्रेस में काफी दूरी है इसलिए हाल खसरा नंबर 3162/5015 रकबा 0.05 हैक्टेयर है जो गलत रूप से बना है। प्रतिवादी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय जयपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बाबत् रेकॉर्ड दुरुस्ती का एक वाद वादी एवं राजस्थान सरकार के विरुद्ध पेश कर रखा है। जो सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त वाद रेकार्ड दुरुस्ती बाबत पेश किया है जो कि मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नंबर 2038 रकबा 4 बिस्वा के हाल खसरा नंबर 3162/5015 बना दिया है, को निरस्त करने का सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद विचाराधीन है। वादी ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 18.06.1980 को श्री कल्याण पुत्र लखना, जाति माली, निवासी सांगानेर कस्बा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर से कृषि भूमि खसरा नंबर

सहायक लेक्चर
जयपुर शहर द्वितीय

2039 रकबा 1 बिस्वा व खसरा नंबर 2040 3 बिस्वा कुल रकबा 4 बिस्वा को मुबलिग राशि 599 रु में खरीद किया था। उक्त खसरा नंबरान् के नये नंबर 3163 रकबा 0.1 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 3163 रकबा 0.3 हैक्टेयर बने हैं। वादी ने न्यायालय के समक्ष सही तथ्यों के आधार पर दावा पेश नहीं किया है, इसलिए वादी का दावा सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर वादी के वाद पत्र को सरसरी तौर पर खारिज फरमाये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

तत्पश्चात वाद में तनकीयात कायम की गई। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र गोपाल पुत्र भौरी लाल जाति माली उम्र 65 साल निवासी माल की ढाणी का रास्ता, दुर्गा कॉलोनी, बड के पास, सांगानेर जिला जयपुर पेश किये जो शामिल पत्रावली है। दस्तावेजात पर प्रदर्श अंकित कराये गये - जमाबंदी व विक्रय पत्र प्रदर्श-1, नक्शा मौका प्रदर्श-2, दूसरी जमाबंदी प्रदर्श-3, भू-प्रबंध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श-4, पुरानी जमाबंदी प्रदर्श-5, फर्द पैमाईश रिपोर्ट सेटलमेंट द्वारा प्रदर्श-6, जुर्माना रशीद प्रदर्श-7, प्रमाणित प्रति तहसीलदार द्वारा निर्णय दिनांक 04.06.1990 प्रदर्श-8, फर्द नक्शा ट्रेस प्रदर्श-9, दूसरा नक्शा ट्रेस प्रदर्श-10, नक्शा ट्रेस संपूर्ण खातेदारी जमीन का प्रदर्श-11 है। माननीय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर द्वारा निर्णित छगनलाल बनाम गोपाल फैसला प्रदर्श-12 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वाद में प्रतिवादी लगातार अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद में मुख्य परीक्षण करवाया गया। बहस वादपत्र पर वकील एकपक्षीय सुनी गई।

बहस वकील एकपक्षीय सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी प्रदर्श-1 से स्पष्ट है कि वादी वाद में भूमि खसरा नंबर 3163 का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श-6 व प्रदर्श-11 से स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा वादी की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। जिससे वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादी की स्वामित्व की भूमि आराजी खसरा नंबर 3163 रकबा 0.07 हैक्टेयर वाकै ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित में प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त आराजी से मुताबिक नक्शा ट्रेस व सीमांकन रिपोर्ट भू-प्रबंध अधिकारी जयपुर दिनांक 16.09.2005 के अनुसार वादी का कब्जा निर्धारित कर पुलिस इमदाद प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखल किया जावें। इस आशय की डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक क्लर्क
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

